रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 19, 1970 (अग्रहायण 28, 1892)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 19, 1970 (AGRAHAYANA 28, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 20 अक्तूबर 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :--

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 20th October 1970 :--

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

--शून्य--

---Nil---

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1009
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1563
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	119
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1511
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	4539
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	5489
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश · ·	723
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं · · ·	1465
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ·	485
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	189
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं · · ·	2759
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ·	219
पूरक संख्या 51—	
12 दिसम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट ·	2093
21 नवम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	2109

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court — — — —	1009
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court — — — —	1563
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence — — — — —	119
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1511
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations ... — — — —	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. — — —	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) — — — — —	4539
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	5489
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence — — ... ... —	723
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India — — ... — — —	1465
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta...	485
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. — .. —	189
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. — .. —	2759
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies — —	219
SUPPLEMENT NO. 51	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 12th December 1970 — — —	2093
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 21st November, 1970 .. .. — — —	2109

भाग I - खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 1970

सं० 57 प्रेज /70 :—राष्ट्रपति, उत्कृष्ट वीरता के लिये निम्नांकित व्यक्तियों को "कीर्ति चक्र" प्रदान किये जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं ।

1. श्री कल्लू,
   ग्राम बमोरी,
   पुलिस थाना बांदा,
   जिला सागर,
   मध्य प्रदेश ।

2. श्री नत्थे,
   ग्राम मानपुरा,
   पुलिस थाना बरैथा,
   जिला सागर,
   मध्य प्रदेश ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—20 सितम्बर 1970)

20 सितम्बर 1969 को रात्रि को बाकर और रत्ना अहीर नामक दो डाकू कुल्हाड़ी और बन्दूक से लैस, श्री दयाराम लोधी, ग्राम मानपुरा, मध्य प्रदेश, के घर पर आये और बाकर ने श्री दया राम लोधी से 10,000 रुपये की मांग की । घर के बरामदे में बैठे हुए अन्य गांव वालों ने जब बाकर से यह कहा कि श्री दयाराम लोधी को पैसों का प्रबन्ध करने के लिये कुछ समय दिया जाये तो वह क्रोधित हो उठा और रत्ना से बन्दूक हथियार कर श्री दयाराम लोधी को गोली से मार डालने की धमकी दी । श्री कल्लू जो वहां मौजूद था बन्दूक छीनने में सफल तो हुआ परन्तु दूसरे डाकू रत्ना ने उसे दबा लिया । बाकर ने फिर श्री दयाराम लोधी पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया । श्री नत्थे ने पीछे से कुल्हाड़ी पकड़ ली और बाकर के कन्धे और गर्दन पर वार किया जिसके परिणाम-स्वरूप बाकर की मृत्यु हुई । इस बीच श्री कल्लू अकेला रत्ना से भिड़ता रहा और अन्त में दूसरों की सहायता से उस पर काबू पा लिया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री कल्लू और नत्थे ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया ।

सं० 58-प्रेज /70 :—राष्ट्रपति, वीरता के लिये निम्नांकित व्यक्तियों को "शौर्य चक्र" प्रदान किये जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. 1141889 नायक लच्छम सिंह,
   गार्ड्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 नवम्बर 1970)

4 नवम्बर 1969 को नायक लच्छम सिंह नागालैंड में अपनी चौकी से एक बताये गये विरोधी कैम्प की ओर बढ़ते हुए अपने गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे । गश्ती दल जब घने जंगल से गुजर रहा था तो विरोधियों ने बहुत निकट से उन पर गोलियां चलायीं जिसके फलस्वरूप स्काउट घायल हो गये । नायक लच्छम सिंह ने, जो दोनों स्काउटों के पीछे पीछे चल रहा था, तुरन्त अपने जवानों के साथ विरोधियों के ठिकानों पर धावा बोल दिया । इस आक्रामक कार्यवाही से विरोधी हिम्मत हार गये । और अपने हथियार और गोला-बारूद छोड़ कर भाग निकले ।

इस मुठभेड़ में नायक लच्छम सिंह ने उच्च स्तर की वीरता का परिचय दिया ।

2. 4445490 सिपाही बलवन्त सिंह,
   कोर आफ मिलिटरी पुलिस । **मरणोपरान्त**

पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 नवम्बर 1969

5 नवम्बर 1969 को 5-00 बजे सांय जब सिपाही बलवन्त सिंह अपनी ड्यूटी समाप्त कर एक माउंटेन डिवीजन के हैडक्वाटर से यूनिट लाइन को लौटा तो उसने देखा कि एक बैरिक में आग लगी हुए है । तुरन्त वह बैरिक में दाखिल हुआ और सरकारी सामान को बचाने लगा । जब वह एक रेडियो सेट निकालने बैरिक के अन्दर गया तो वह आग की लपट में आ गया और उसने अपनी जान खो दी ।

इस घटना में सिपाही बलवन्त सिंह ने उच्च स्तर की वीरता का परिचय दिया ।

सं० 59-प्रेज/70 :—राष्ट्रपति सहायक कार्यों के लिये निम्नांकित व्यक्तियों को "सेना मेडल" / "आर्मी मेडल" प्रदान किये जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर अरजिन्दर बीर सिंह कुन्द्रा (आई० सी० 17057)
   डोगरा रेजिमेन्ट ।

2 दिसम्बर, 1969 को रात के 8 बजे मेजर अरजिन्दर बीर सिंह कुन्द्रा को, जो उस समय मणिपुर क्षेत्र में एक इन्फेन्टरी रेजिमेन्ट की एक बटालियन के एडजूटेंट थे, सूचना मिली कि जंगल में एक कैम्प में कुछ विरोधी हैं । वे तुरन्त ही एक जे० सी० ओ० और 30 जवानों की एक प्लाटून लेकर घने जंगल में एक खड़ी

ढलान पर स्थित विरोधियों के कैम्प की ओर चल दिये। 3 दिसम्बर, 1969 को प्रातः लगभग 4 बजे मेजर कुन्द्रा ने उस क्षेत्र की ठीक छानबीन करने के लिये अपने गश्ती दल को दो टोलियों में बांट दिया। जब उस टोली पर जिसका वह नेतृत्व कर रहे थे विरोधियों ने बहुत निकट से गोलियां चलाई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ उन पर धावा बोल दिया। इसके साथ-साथ दूसरी टोली ने भी विरोधिओं पर हमला कर दिया जो उस ढलान से जंगल की ओर भाग निकले और अपने पीछे कुछ शस्त्र, उपकरण एवं कागजात छोड़ गये।

इस मुठभेड़ में मेजर अरजिन्दर बीर सिंह कुन्द्रा ने अपने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

2. मेजर कोडरिया आयप्पा नानैहा (आई सी-4928) आर्मी आर्डनेंस कोर।

30 नवम्बर 1969 प्रातः कोई 11 बजकर 45 मिनट पर यह पता लगते ही कि सिक्किम के सिंगतम टाऊन की कुछ दुकानों में आग लग गई है, मेजर कोडरिया आयप्पा नानैहा अपने जवानों के साथ तुरन्त वहां जा पहुंचे। वहां देखा कि बहुत-सी दुकानों में आग भड़की हुई है और बड़ी तेजी के साथ वहां की कुछ अन्य दुकानों में फैल रही है। अपने जवानों तथा सिविलियनों की सहायता से उन्होंने आग बुझाने को पानी पहुंचाने के लिए तीस्ता नदी तक एक जन-शृंखला बांध दी। जो भी साधन उन्हें उपलब्ध थे उनसे मेजर नानैहा बाद दोपहर कोई सवा तीन बजे तक आग पर काबू पाने में सफल हुए। उनके साहस और तत्काल कार्यवाही के बिना आग और फैल जाती तथा जान और माल की भारी क्षति हो जाती।

इस कार्यवाही में मेजर कोडरिया आयप्पा नानैहा ने अपने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

3. मेजर राम बचन सिंह (आई सी-14052) मद्रास रेजिमेंट।

मेजर राम बचन सिंह नागालैंड के क्षेत्र में इन्फेन्टरी रेजिमेन्ट की एक कम्पनी की कमान सम्भाले हुए थे। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने विरोधियों का बड़ी दृढ़तापूर्वक सामना किया और अन्त में वे कुछ विरोधियों को बन्दी बनाने और हथियारों पर कब्जा करने में सफल हुए।

मेजर राम बचन सिंह ने बराबर अपने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

4. 2/लेफ्टिनेंट पुरुषोत्तम जोशी (आई सी-19309) कुमाऊं रेजिमेंट।

1 जून 1969 को 2/लेफ्टिनेंट पुरुषोत्तम जोशी नागालैंड क्षेत्र में एक ऐसे स्थान पर तैनात थे जो विरोधियों का गढ़ था। अपने अनथक प्रयासों के परिणामस्वरूप थोड़े ही समय में वहां की सारी जनता की सराहना और सहयोग के पात्र बन गए और 35 विरोधियों का आत्म समर्पण कराने में सफल हुए। 24 जून और 2 जुलाई, 1969 को अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए तीन और विरोधियों को पकड़ने में वे सफल हुए। दोबारा 2 व तीन जुलाई 1969 के बीच की रात को 2/लेफ्टिनेंट पुरुषोत्तम जोशी को एक गांव में एक विरोधी नेता की उपस्थिति की खबर मिली। वे तुरन्त ही केवल 3 जवानों को साथ लेकर उस गांव की ओर चल दिये। उन्होंने जवानों को विरोधी के घर के बाहर तैनात कर दिया और स्वयं अकेले घर के अन्दर गए तथा विरोधी को आत्म-समर्पण करा लिया। एक अन्य अवसर पर यह अफसर एक और छिपे विरोधी नेता को आत्म-समर्पण कराने में सफल हुए।

2/लिफ्टिनेंट पुरुषोत्तम जोशी ने बराबर अपने साहस, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व का परिचय दिया।

5. जे सी-48238 नायब सूबेदार। नर्सिंग असिस्टेंट सुरेन्द्र सिंह, आर्मी मेडिकल कोर।

17 सितम्बर, 1969 को सायं साढ़े पांच बजे फील्ड अस्पताल के नर्सिंग जे सी ओ और नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, यह सूचना मिलते ही कि ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों को लाने वाली एक बस जोशी-मठ के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, सहायता के लिए दुर्घटनास्थल को तुरन्त चल दिये। नायब सूबेदार सुरेन्द्रसिंह ने दो यात्रियों को बचा लिया और उन्हें हस्पताल भिजवा दिया जहाँ पर उनमें से एक की जान बचा ली गयी। बाद में उन्होंने सभी शवों को निकालने का काम शुरू किया और उनके कीमती सामान को जत्थे के मुखिया को सौंप दिया।

इस कार्यवाही में नायब सूबेदार नर्सिंग असिस्टेंट सुरेन्द्र सिंह ने अपने साहस तथा पहलकदमी का परिचय दिया।

सं० 60-प्रेज/70—राष्ट्रपति वीरता के लिए निम्नांकित को "नौ सेना मेडल"/"नेवी मेडल" प्रदान किये जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

लीडिंग सीमैन कैलाशनाथ (सं० 81586)

16 नवम्बर, 1969 को भारतीय नौसेना की एक पन-डुब्बी तूफ़ान में फंस गई जिसके फलस्वरूप उस की सीढ़ी जो ऊपर के खोल से बंधी थी ढीली पड़ गई। तापमान लगभग जमाव बिन्दू पर पहुंच गया था और कोई तीस फुट ऊंची लहरें पोत को थपेड़ रहीं थीं। नौ सैनिकों की एक पार्टी बाह्य खोल की ओर भेजी गई ताकि सीढ़ी को बांध दिया जाय। ढीली पड़ी सीढ़ी को खींचकर ठीक करने का काम चल ही रहा था कि एक नौसैनिक नीचे गिर कर बह गया, परन्तु भाग्यवश उसका पांव वाटर लाइन के पास खोल के निकट एक सुराख में फंस गया। वह समुद्र की ओर उल्टा लटका हुआ था और डूबने को ही था। भयंकर खतरे के होते हुए भी लीडिंग सीमैन कैलाश नाथ खोल पर चला गया और नौसैनिक को थाम कर उसे वापिस पोत में ले आया।

इस कार्यवाही में लीडिंग सीमैन कैलाशनाथ ने अपने साहस, पहलकदमी और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 1970

सं० को० दो०-7(2)/70—यह विनिश्चित किया गया है कि कोयला सलाहकारी परिषद्, जिसे पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय, (खान तथा धातु विभाग) के संकल्प सं० को० 6-7(12)/68 तारीख 31 मई, 1969 के द्वारा पुनर्गठित किया गया था, की विद्यमान संरचना में संसद के दो सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। पुनर्गठन के पश्चात् अधिसूचित प्रभारों को ध्यान में रखते हुए, परिषद् की पुनरीक्षित संरचना निम्नलिखित प्रकार से होगी।

अध्यक्ष

मंत्री, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

सदस्य

1. संसद के दो सदस्य।
2. सचिव, खान तथा धातु विभाग, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय/अनुकल्पत: सदस्य के रूप में संयुक्त सचिव (कोयला), खान तथा धातु विभाग।
3. सचिव, पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय।
4. सचिव, लोहा और इस्पात, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड।
6. सचिव, योजना आयोग।
7. सचिव, सिंचाई और शक्ति मंत्रालय।
8. सचिव, श्रम और नियोजन विभाग, श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय।
9. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग विकास और आन्तरिक वाणिज्य व्यापार मंत्रालय।
10. सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
11. प्रमुख तकनीकी सलाहकार, खान तथा धातु विभाग।
12. तकनीकी विकास के महानिदेशक।
13. खान सुरक्षा के महानिदेशक।
14. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक।
15. महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान-परिषद्, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, कोयला बोर्ड, कलकत्ता।
17. वाणिज्य और उद्योग के भारतीय चेम्बर के परिसंघ के अध्यक्ष

—पदेन

18. वाणिज्य और उद्योग के सहयुक्त चेम्बर के अध्यक्ष।

—पदेन

19. प्रत्येक प्रमुख कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों अर्थात बिहार, आन्ध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उड़ीसा में से एक-एक प्रतिनिधि।
20. प्रमुख कोयला उपभोक्ता राज्यों में से दो प्रतिनिधि

—वार्षिक चयानुक्रम द्वारा

21. इस्पात उद्योग के पब्लिक सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले मेजर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और मेजर्स बोकारो स्टील लिमिटेड का एक-एक प्रतिनिधि।
22. इस्पात उद्योग के प्राइवेट सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड तथा इंडियन आयरन और स्टील कम्पनी का एक-एक प्रतिनिधि।
23. सीमेंट उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली सहयुक्त सीमेंट कम्पनी लिमिटेड का एक प्रतिनिधि।
24. भारत के कोयला उपभोक्ता संगम का एक प्रतिनिधि।
25. भारतीय खनन संगम, भारतीय खनन परिषद, भारतीय कोयला स्वामियों का संगम और मध्यप्रदेश तथा विदर्भ खनन संगम का प्रतिनिधित्व करने वाले कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यक्रम समिति के 4 प्रतिनिधि।
26. साफ्ट कोक उत्पादक कोयला खानों के संगम का एक प्रतिनिधि।
27. श्रमिकों का एक प्रतिनिधि।
28. भारतीय खान प्रबंधकों के संगम का एक प्रतिनिधि।
29. भारत के खनन भू-वैज्ञानिक और धातुकर्मीय संस्थान का एक प्रतिनिधि।
30. भारतीय भू-वैज्ञानिक खनन और धातुकर्मीय सोसाइटी का एक प्रतिनिधि।
31. भारतीय कोयला व्यापारिक संगम का एक प्रतिनिधि।
32. अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड रांची।
33. प्रबन्ध-निदेशक, सिंगरेनी कॉलरी कम्पनी लिमिटेड।
34. प्रबन्ध-निदेशक, नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड।
35. निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था।
36. निदेशक, केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र।
37. निदेशक, खानों का भारतीय विद्यालय धनबाद।
38. निदेशक, खान तथा धातु विभाग, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय।

—सदस्य सचिव

पदावधि

उपरोक्त सूची में क्रम संख्या 20 पर प्रतिनिधियों के वार्षिक सेवा-निवृत्ति के लिए निर्मापित उपबन्ध के साथ परिषद् की कालावधि दो वर्षों के लिए है।

परिषद कालिकत: रूप से अर्थात् वर्ष में कम से कम एक बार बैठक किया करेगी।

कृत्य

कोयले के सम्बन्ध में साधारण स्वरूप के समस्त मामले और विशिष्टत: देश के कोयला संसाधनों के सम्बन्ध में विकास, उपयोजन और सम्यक संरक्षण के लिए योजना के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना। कोयला सलाहकारी परिषद् का कृत्य है।

जी० रामास्वामी, निदेशक

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 1970

सं० 28-1/70-समन्वय-1/भा० कृ० अनु० परि०—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत, खाद्य, तथा कृषि मंत्री ने श्री एस० के० एन चिन्न के स्थान पर सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, को 20 अक्तूबर 1970 से 18 नवम्बर 1970 तक के लिए परिषद् की कृषि, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी तथा विपणन अनुसंधान की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है।

2. भारतीय कृषि, अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम II (ए०) के अन्तर्गत 20 नवम्बर, 1970 से श्री पी० एन० माथुर कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी तथा विपणन अनुसंधान की स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

एम० आर० कोल्हटकर, उप-सचिव

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 1970

संकल्प

स० मान टी० एन० (1)/70—पर्यटकों के प्रयोग के लिए कारों का क्रय करने हेतु, पर्यटक-कार प्रचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से एक योजना, संकल्प सं० मान टी० एन० (1)/70 दिनांक 13 जुलाई 1970 द्वारा स्वीकृत की गई थी।

उपर्युक्त संकल्प से अनुबद्ध अनुदेशों के पैरा 3, 19, 23 और उसके परिशिष्ट दो के खंड (क्लाज) 14 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :—

उपरोक्त पैरों/परिशिष्ट में जहां-जहां 'महानिदेशक' शब्द आया है, उसके स्थान पर 'अतिरिक्त महानिदेशक' पढ़ा जाए।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस संकल्प की सूचना दी जाए और सामान्य सूचना के लिए इसे भारत-राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० सहगल, सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 1970

सं० एफ० 15(1)/65-आई० टी० डी० डब्ल्यू० (एन०)—इस मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 15(1)/61-आई० टी०, दिनांक 14 सितम्बर 1970 के सांतत्य में, भारत सरकार पंजाब और हरियाणा के राज्यों में नदियों के प्रवाहों, सिंचित क्षेत्रों आदि से संबंधित तथ्यों तथा अन्य ऐसे तथ्यों को, जो इन राज्यों के अपने-अपने हिस्से के निर्धारण के लिए संबंधित हों, इकट्ठा करने के लिए गठित की गई तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसम्बर 1970 तक बढ़ाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पंजाब और हरियाणा की सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, केबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड, और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी, भाखड़ा और व्यास परियोजनाओं के पास भेजा जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एम० बंसल, संयुक्त सचिव

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1970

सं० 10/17/70-एम०-3—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 10/4/70-एम०-3, तारीख 10 अप्रैल 1970 के क्रम में कच्चा लोहा खान श्रमिक कल्याण निधि के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करने के लिए इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 10/31/68-एम० -3, तारीख 20 दिसम्बर 1968 (समय-समय पर संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन और किया जाए, —अर्थात्—

"उक्त संकल्प के पैरा 1 में, क्रमांक 2 के सामने नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि सदस्यों" के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात्—

1. श्री पी० पी० बालकृष्णन,
   प्रधान (औद्योगिक सम्बन्ध),
   हिन्दुस्तान स्टील लि०,
   रांची।

सी० आर० नायर, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 9th December 1970

No. 57-Pres./70.—The President is pleased to approve the award of the KIRTI CHAKRA for acts of conspicuous gallantry to :—

1. Shri KALLOO,
   Village Bamori,
   Police Station Banda,
   District Sagar,
   Madhya Pradesh.

2. Shri NATTHE,
   Village Manpura,
   Police Station Baraitha,
   District Sagar,
   Madhya Pradesh.

(Effective date of award—20th September, 1969)

On the night of 20th September 1969, two dacoits, Bakar and Ratna Ahir, armed with an axe and a gun, came to the house of Shri Daya Ram Lodhi of village Manpura in Madhya Pradesh and Bakar demanded Rs. 10,000/- from

Shri Daya Ram Lodhi. When the other villagers who were sitting in the verandah of the house asked Bakar to allow some time to Shri Daya Ram Lodhi to arrange for the money, he got enraged and taking the gun from Ratna threatened to shoot Shri Daya Ram Lodhi. Shri Kalloo, who was present there, succeeded in snatching the gun but was overpowered by the other dacoit, Ratna. Bakar then assaulted Shri Daya Ram Lodhi with an axe. Shri Natthe caught hold of the axe from behind and hit Bakar on the shoulder and neck as a result of which Bakar died. Meanwhile Shri Kalloo kept Ratna engaged who was ultimately overpowered with the help of others.

In this action, Sarvashri Kalloo and Natthe displayed gallantry of a very high order.

The 9th December 1970.

No. 58-*Pres.*/70.—The President is pleased to approve the award of the SHAURYA CHAKRA for acts of gallantry to :—

1. 4141889 Naik LACHHAM SINGH
Guards

(*Effective date of award—4th November,* 1969).

On 4th November, 1969, Naik Lachham Singh was leading a patrol from his post in Nagaland towards a reported hostile camp. While the patrol was moving through thick jungle, it was fired upon by hostiles from a close range as a result of which both the scouts were wounded. Naik Lachham Singh, who was following the scouts, immediately charged towards the hostile position with his men. The hostiles became demoralised due to this offensive and they fled away leaving behind arms and ammunition.

In this action, Naik Lachham Singh displayed gallantry of a high order.

2. 4445490 Sepoy BALWANT SINGH
Corps of Military Police (*Posthumous*)

(*Effective date of award—5th November,* 1969).

On the 5th November, 1969, when Sepoy Balwant Singh, on completion of his duty at 1700 hours at Headquarters of a Mountain Division, returned to the unit lines, he noticed that a barrack was on fire. He immediately rushed into the barrack and started retrieving Government stores. When he went inside tht barrack to bring out a Radio set, he war engulfed by the flames and he lost his life.

In this action, Sepoy Balwant Singh gallantry of a high order.

No. 59-*Pres.*/70.—The President is pleased to approve the award of the "SENA MEDAL"/"ARMY MEDAL" to the undermtntioned personnel for the acts of courage :—

1. Major ARJINDER BIR SINGH KUNDRA (IC-17057) Dogra Regiment

On 2nd December, 1969, at 2000 hours, Major Arjinder Bir Singh Kundra, who was serving as Adjutant of a battalion of an Infantry Regiment in Manipur area, received information about the presence of hostiles in a camp in the jungle. He immediately led a platoon comprising a JCO and 30 ORs towards the hostile camp which was located in a thick jungle on a precipitous slone. At about 0400 hours on 3rd December 1969, Major Kundra divided his patrol in two parties for a search of the area. When the party led by him was fired upon by the hostiles from a close range, he assaulted the hostiles with his men. Simultaneously, the other party also attacked the hostiles who ran down the slope and disappeared in the jungle leaving behind some arms, equipment and documents.

In this action, Major Arjinder Bir Singh Kundra displayed courage and leadership.

2. Major KODRIA AIYAPPA NANAIAH (IC-4928)
Army Ordnance Corps

On 30th November, 1969, at about 1145 hours, on hearing that a fire had broken out in some shops in Singtam Town in Sikkim, Major Kodria Aiyappa Nanaiah, with his men, rushed to the place and found that many shops were ablaze and fire was spreading very fast to the other shops in the area. With the assistance of his men and other civilians, he organised a chain upto the river Teesta for getting water for extinguishing the fire. With the resources available with him, Major Nanaiah successfully fought the fire and brought it under control at about 1515 hours. But for his courage and prompt action, the fire would have spread causing serious loss of life and property.

In this action, Major Kodria Aiyappa Nanaiah displayed courage and leadership.

3. Major RAM BACHAN SINGH (IC-14052)
Madras Regiment

Major Ram Bachan Singh was Commanding a company of Infantry Regiment in an area in Nagaland. Disregarding his personal safety, he put up stifs resistence against the hostiles and finally succeeded in capturing some hostiles and firearms.

Throughout, Major Ram Bachan Singh displayed courage and leadership.

4. 2/Lt. PURSHOTAM JOSHI (IC-19309)
Kumaon Regiment

On 1st June 1969, 2/Ltd. Purshotam Joshi was posted in an area in Nagaland, whtch was infested with hostiles. As a result of his untiring efforts, he earned the admiration and co-operation of the entire population within a short period and succeeded in securing the surrender of 35 hostiles. On 24th June and 2nd July, 1969, he led his men and succeeded in capturing three more hostiles. Again, on the night of 2nd/3rd July, 1969, 2/Lt. Joshi got information about the presence of a hostile leader in a village. He immediately proceeded to the village with only 3 ORs. He posted the Other Ranks around the house of the hostile and went inside the house alone and secured the surrender of the hostile. On another ocacsion, the officer was able to secure the surrender of another underground hostile leader.

Throughout, 2$Lt. Purshotam Joshi displayed courage, determination and leadership.

5. JC—48238 Naib Subedar/Nursing Assistant SURENDER SINGH Army Medical Corps.

On 17th September, 1969, at 1730 hours, Naib Subedar Surender Singh, Nursing JCO of a Field Hospital, on being informed that a bus carrying pilgrims from Rishikesh was involved in an occident near Joshimath, rushed to the spot for rendering help. Naib Subedar Surender Singh rescued two passengers and sent them to the hospital where the life of one of them was saved. Subsequently, he conducted the recovery of all the dead bodies and the costly belongings of the pilgrims and handed them over to the leader of the group.

In this action, Naib Subedar/Nursing Assistant Surendar Singh, displayed courage and initiative.

No. 60-*Pres.*/70.—The President is pleased to approve the award of the "NAO SENA MEDAL"/"NAVY MEDAL" for acts of courage to :—

1. Leading Seaman KAILASH NATH (No. 81586)

On 16th November, 1969, an Indian Naval Submarine encountered gales and heavy stas as a result of which the ship's brow which was secured to the outer casing broke loose. The temperature was near the freezing point and thirty feet high waves were crashing on the ship. A party of seamen was sent out on the outer casing to lash the brow. While the party was in the process of trying to pull up the loose brow, a seaman was washed overboard, but fortunately his foot got stuck in one of the holes in the casing near the water line. He was hanging head downwards in the water in imminent danger of being drowned. Despite the tremendous risk involved, Leading Staman and Kailash Nath went down the casing and help up the other Seaman managed to get him back on board.

In this action, Leading Seaman Kailash Nath displayed courage, initiative and determination.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS, MINES AND METALS

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, 28th Nov., 1970.

No. CII-7(2)/70.—It has been decided to include two Members of Parliament in the existing composition of the Coal Advisory Council which was reconstituted last *vide* the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals, Department of Mines and Metals Resolution No. C6-7(12)/68 dated the 31st May, 1969. Taking into account the changes notified subsequent to the reconstitution the revised composition of the Council will now be as follows :—

Chairman

Minister of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals

Members

1. Two Members of Parliament.
2. Secretary, Department of Mines & Metals in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals/Joint Secretary (Coal) in the Department of Mines & Metals as alternative member.
3. Secretary, Department of Petroleum and Chemicals Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals.
4. Secretary. Iron & Steel in the Ministry of Steel & Heavy Engineering.
5. Chairman, Railway Board.
6. Secretary, Planning Commission.
7. Secretary, Ministry of Irrigation & Power.
8. Secretary, Department of Labour & Employment in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation.
9. Secretary, Department of Industrial Development in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade.
10. Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure.
11. Chief Technical Adviser, Department of Mines & Metals.
12. Director General of Technical Development.
13. Director General of Mines Safety.
14. Director General of Geological Survey of India.
15. Director General, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi.
16. Chairman, Coal Board, Calcutta.
17. President of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry ex-officio.
18. President of Associated Chambers of Commerce and Industry, ex-officio.
19. One representative each of the Major coal producing States *viz.* Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, Maharashtra and Orissa.
20. Two representatives of the major coal consuming State. By rotation annually.
21. One representative each of M/s. Hindustan Steel Ltd. and M/s. Bokaro Steel Ltd. representing the Public Sector of the Steel Industry:
22. One representative each of the Tata Iron & Steel Co. Ltd. and Indian Iron & Steel Co. Ltd. representing the private sector of the Steel Industry.
23. One representative of the Associated Cement Cos Ltd. representing the Cement Industry.
24. One representative of the Coal Consumers' Association of India.
25. Four representatives of the Joint Working Committee of the Coal Industry representing Indian Mining Association, Indian Mining Federation, Indian Colliery Owners' Association & Madhya Pradesh & Vidarbha Mining Association
26. One representative of the Soft Coke Producers' Collieries Association.
27. A representative of Labour.
28. One representative of the Indian Mine Managers' Association.
29. One representative of the Mining Geological and Metallurgical Institute of India.
30. One representative of the Geological, Mining and Metallurgical Society of India.
31. One representative of the Indian Coal Merchants Association.
32. Chairman and Managing Director, National Coal Development Corporation Ltd, Ranchi.
33. Managing Director, Singareni Collieries Co. Ltd.
34. Managing Director, Neyveli Lignite Corporation Ltd.
35. Director, Central Fuel Research Institute.
36. Director, Central Mining Research Station.
37. Director, Indian School of Mines Dhanbad.
38. Director, Department of Mines & Metals in the Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines and Metals ....Member-Secretary.

Tenure

The term of the Council is for a period of two years with a builtin provision for retirement of representatives at serial No. 20 in the above list annnually.

The Council may meet periodically *i.e.* at least once a year.

Functions

The function of the Coal Advisory Council is to advise Government in regard to all matters of a general character relating to coal, and in particular to problems pertaining to planning for the development, utilisation and due conservation of the coal resources of the country.

G. RAMASWAMY, Director

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

(I.C.A.R.)

New Delhi, 30th Nov., 1970.

No. 28-1/70-CDN(I)-ICAR.—Under the provision of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Food and Agriculture has been pleased to nominate, Secretary, National Co-operative Development Corporation, as a member of the Standing Committee for Agricultural Economic, Statistical and Marketing Research of the Society with effect from 20th October, 1970 to 18th November, 1972, in place of Shri S.K.S Chib.

2. Under Rule 11(a) of the Rules of Indian Council of Agricultural Research. Prof. P. N. Mathur has ceased to be a member of the Standing Committee for Agricultural Economic, Statistical and Marketing Research with effect from 20-11-1970

M. R. KOLHATKAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Tourism)

New Delhi, 20th August 1970.

RESOLUTION

No. VII-TL(1)/70.—With a view to provide financial assistance to tourist car operators for the purchase of cars for the use of tourists, a scheme was sanctioned in Resolution bearing No. VII-TL(1)/70 dated the 13th July, 1970.

Paras 3, 19, 23 and clause 14 of Appendix II of the Instructions annexed to the Resolution stand amended as under :—

Substitute the word 'Additional Director General' for the word 'Director General' wherever it occurs in the above paras/Appendix.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N SAHGAL, Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

New Delhi, 30th Nov., 1970

No. F. 15(1)/61-*IT/DW(N)*.—In continuation of this Ministry's Resolution No. F. 15(1)/61-IT dated the 14th September, 1970, Government of India are pleased to extend the period for submission of the report by the Committee of technical experts, constituted to collect facts relating to river flows, areas irrigated etc., in the State of Punjab and Haryana and such other facts as are relevant for determination of the shares of the respective States, upto 31st December, 1970.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of Punjab and Haryana, all Ministries/Departments of Government of India, the Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Secretary to the Vice President, the Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Chairman Central Water and Power Commisison, Chairman, Bhakra Management Board and Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bhakra and Beas Projects.

ORDERED also that the Resolution may be published in the Gazette of India.

B. S. BANSAL, Joint Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, 4th Dec., 1970.

Resolution

No. 10/17/70-*MIII*.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 10/4/70-MIII dated the 10th April, 1970, the following further amendment shall be made in this Ministry's Resolution No. 10/31/68-MIII dated the 20th December, 1968 as amended from time to time, reconstituting the Central Advisory Board for Iron Ore Mines Labour Welfare Fund, namely :—

"In the said Resolution, in para 1, against Serial No. 2 under 'Members representing Employers' Organisation,' *for* the existing entry, the following shall be *substituted*, namely :—

2. Shri P. P. Balakrishnan, Chief (Industrial Relations), Hindustan Steel Ltd., Ranchi."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. The Government of Andhra Pradesh, Mysore, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Orissa and Goa, Daman & Diu.
2. The Ministry of Steel and Heavy Engineering, New Delhi, with reference to their K.M. No. Copy.3(2)/69 dated the 9th November, 1970.
3. All Members of the Central Advisory Board.
4. Employers & Workers Organisation concerned.
5. Industrial Relations officers, National Mineral Development Corporation Ltd., 61, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi-14.
6. Shri P. P. Balakrishnan, Chief (Industrial Relations) Hindustan Steel Ltd. Ranchi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. R. NAIR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970